



प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक-29-03-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्थान के न्यू ब्लॉक में एडवांस् न्यूरो साइंसेज सेन्टर की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4066/डा०रा०म०लो०आ०सं०/2026/सि०-3, दिनांक 25 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर के न्यू ब्लॉक में निर्माणाधीन एडवांस् न्यूरो साइंसेज सेन्टर के स्थापना कार्य पूर्ण करते हुए परियोजना की अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि ₹0 171.33 लाख एवं जी०एस०टी० अन्तर की धनराशि ₹0 8.04 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 07 जून, 2021 द्वारा प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किशत की धनराशि ₹0 856.59 लाख, शासनादेश दिनांक 23.06.2022 द्वारा ₹0 856.60 लाख, शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2023 द्वारा धनराशि ₹0 856.59 लाख तथा शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2023 द्वारा धनराशि राशि ₹0 ₹0 685.28 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः उक्त परियोजना हेतु ₹0 3255.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर के न्यू ब्लॉक में निर्माणाधीन एडवांस् न्यूरो साइंसेज सेन्टर के स्थापना कार्य पूर्ण करते हुए परियोजना की अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि ₹0 171.33 लाख एवं जी०एस०टी० अन्तर की धनराशि ₹0 8.04 लाख अवमुक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्थान के वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत की अवशेष धनराशि ₹0 171.33 लाख तथा जी०एस०टी० अन्तर की धनराशि ₹0 8.04 लाख, कुल धनराशि ₹0 179.37 लाख (रुपये एक करोड़ उनासी लाख सैंतीस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से ₹0 141.71 एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि ₹0 37.66 लाख) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
 2. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को आहरित कर बैंक खाते/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।
 3. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यों की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
 4. अवमुक्त जी0एस0टी0 की धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
 5. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ों का पुनः मिलान कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाये।
 6. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का होगा।
 7. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
 8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
 9. कार्यदायी संस्था को तीन-तीन माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निदेशक संस्थान/वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण कर तीन-तीन माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।
 10. शासनादेश संख्या-56/2021/1/68365/2021/71-2099/623/2021, दिनांक 07 जून, 2021 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
 12. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,41,71,000 (रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख इकहतर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 37,66,000 (रुपये सैंतीस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

संख्या-47/2026/1/1282640/2026/001-71-2099-623-2021,तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।